2023/126

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
ललिता कुमारी पुत्री श्री हजाराम निवासी कैलाश नगर तहसील शिवगंज जिला सिरोही।		उपखण्ड अधिकारी शिवगंज

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 14 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
14.08.2023	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन राजस्व अपील संख्या 01/2023 व 02/2023 एवं स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 01/2023 व 02/2023 को अधीनस्थ न्यायालय से अन्य उपखण्ड न्यायालय में स्थानान्तरण कराने हेतु पेश किया। जिस पर प्रार्थी पक्ष को सुना गया। प्रार्थिया का मुख्यतः तर्क है कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित विवादित भूमि में राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण प्रार्थिया को लैण्ड रेकर्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज से न्याय की उम्मीद नहीं है, परन्तु प्रार्थिया द्वारा अपने कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। चूंकि न्यायपालिकाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप से परे जाकर साक्ष्य एवं दस्तावेज के अवलोकन एवं गुणावगुण के आधार पर ही निर्णय पारित किया जाता है। अतः प्रार्थिया का यह कथन मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है कि प्रार्थिया को राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण न्याय की उम्मीद नहीं है। यदि प्रार्थिया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत नहीं भी होती है, तो वह अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 16:04:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner